आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज **मैसर्स प्रवीण कुमार अमित कुमार बनाम हनुमान गोयल व अन्य** **दीवानी वाद सं.61/2023**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
28.01.2025	अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता तथा प्रतिवादी सं.1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सि.प्र.सं. का निस्तारण किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश **6** नियम **17** सिविल प्रक्रिया संहिता प्रतिवादी सं. 1 हनुमान गोयल की ओर से दिनांक 7.12.2024 प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सि.प्र.सं. में यह कथन किया कि उनके द्वारा जवाबदावा पेश करते समय उजरात मजीद की मद सं.10,11,13 में जवाबदावा टाइप करवाते समय गलती से बालमुकन्द जिन्दल की जगह बजरंग दास जिन्दल(अग्रवाल) लिख दिया गया। बजरंग दास जिन्दल व बाल मुकन्द जिन्दल दोनों सगे भाई हैं। प्रकरण में अभी तनकीयात कायम नहीं हुई हैं। प्रस्तावित संशोधन किए जाने से पक्षकारों को कोई क्षति नहीं होगी ना ही वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन आएगा। अतः प्रतिवाद पत्र की मद सं.10,11 व 13 में शब्द बजरंग दास जिन्दल (अगवाल) की जगह पर बालमुकंद जिन्दल अंकित किया जावे। इसके अलावा जवाबदावा में जहां पर भी बजरंग दास जिन्दल (अग्रवाल) प्रयुक्त हुआ है, के स्थान पर बालमुकन्द जिंदल अंकित किया जावे। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का लिखित उत्तर पेश नहीं कर केवल मौखिक विरोध किया व अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक–दृष्टांत 2023(4) सिविल कोर्ट केसेज (इलाहाबाद) 424 शीर्षक रमेश दुग्गल उर्फ पप्पु विरूद्ध पंडित रामशंकर मिश्रा ट्रस्ट चीफ ऑफिस एवं न्यायिक–दृष्टांत 2023(2) सिविल कोर्ट कैसेज (पंजाब एंड हरियाणा) 540 शीर्षक हरीशचन्द्र उर्फ हरीश बौरी व अन्य विरूद्ध राजेश मल्होत्रा व अन्य,पेश किए। जिनका सादर अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली व सुसंगत विधिक प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2018 डीएनजे (उच्चतम न्यायालय) पृष्ठ 169 शीर्षक एलआईसी ऑफ इंडिया विरूद्ध संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संशोधन किसी भी प्रक्रम पर करवाया जा सकता है, वह उचित होना चाहिए और इस संबंध में न्यायालय को उदारतापूर्वक रूख अपनाया जाना चाहिए ताकि वाद की पैचिदगियां नहीं रहे। अन्य न्यायिक दृष्टांत 2022 (4) सिविल कोर्ट केसेज (उच्चतम न्यायालय) पृष्ठ 540 शीर्षक एलआईसी ऑफ इंडिया विरूद्ध संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य में उक्त पूर्व न्यायिक दृष्टांत के विनिश्चय को पुष्ट करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे सभी संशोधन जो प्रकरण के वास्तविक वाद प्रश्नों के निर्धारण के लिए	

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज मैसर्स प्रवीण कुमार अमित कुमार बनाम हनुमान गोयल व अन्य दीवानी वाद सं.61/2023	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ

आवश्यक हो, अनुज्ञात किए जाने चाहिए, बशर्ते कि यह दूसरे पक्ष के साथ अन्याय या पूर्वाग्रह का कारण न बने। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी ने यह निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत वादोत्तर में गलती से नाम बालमुकन्द जिन्दल की जगह, बजरंग दास जिन्दल लिख दिया गया और बजरंगदास जिंदल व बालमुकन्द जिंदल दोनों सगे भाई हैं। अतः वादोत्तर में उक्त व्यक्ति का नाम गलती से अंकित हो जाना दर्शाकर उस संबंध में संशोधन किए जाने की प्रार्थना की गई है। उक्त प्रस्तावित संशोधन से मामले की प्रकृति व वाद हेतुक परिवर्तित नहीं होते है, अपितु न्यायहित में उक्त प्रस्तावित संशोधन अनुज्ञात किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता

वादी पक्ष की ओर से दिनांक 4.11.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा में कुछ नए व विशिष्ट तथ्यों का अभिकथन किया गया है जिनका प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना आवश्यक है। वादी की ओर से प्रत्युत्तर पत्र अविलम्ब प्रस्तुत किया गया है जिसे रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रत्युत्तर को रिकार्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने न्यायिक दृष्टांत 2023(3) सिविल कोर्ट केसेज 686 (राजस्थान) शरबती देवी मृतक जरिए विधिक उत्तराधिकारीगण बनाम शंकरलाल व अन्य एवं न्यायिक–दृष्टांत 2019(सप्ली.) सिविल कोर्ट कैसेज (राजस्थान) 178 शीर्षक मूलसिंह उर्फ मूलचंद विरूद्ध म्युनिस्पिल काउंसिल नागौर व अन्य पेश किए, जिनका सादर अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के अनुरूप तर्क दिया कि वादी ने वादपत्र के पैरा सं.2 में मैसर्स विकास कैमीगम इण्डिया लि. से दुकान नं.47 खरीद करने का कथन किया और विकास कैमीगम इण्डिया लि. द्वारा उक्त दुकान आबंटित करवाई गई और इसका पट्टा भी विकास कैमीगम इण्डिया लि. के पक्ष में जारी किया गया। इसके उपरांत वादी ने यह दुकान विकास कैमीगम से खरीद कर इसकी प्रतिफल राशि विकास कैमीगम के हवाले की। प्रतिवादी सं.2 ने अपने जवाबदावा के पैरा सं.11 में यह कथन किया है कि वादी ने दुर्भावनापूर्वक अपनी साजिशी कार्यवाही को छिपाने के लिए यह प्रकट नहीं किया कि विकास कैमीगम इण्डिया लि. द्वारा वादी के नाम से दुकान हस्तांतरित करने का प्रार्थना पत्र व अनुज्ञा पत्र समर्पित करने का पत्र किस व्यक्ति विशेष द्वारा दिया गया। वादी ने बजरंगदास,उसकी पत्नी बिमला देवी व पुत्री कामिनी जिंदल तीनों को विकास कैमीगम का डायरेक्टर होना बताकर इनके द्वारा इकरारनामा सौदा बैय करना बताया जिन्हें प्रतिवादी ने डायरेक्टर होने से

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज मैसर्स प्रवीण कुमार अमित कुमार बनाम हनुमान गोयल व अन्य दीवानी वाद सं.61/2023	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ

ही जवाबदावा में इन्कार किया है और इस प्रतिष्ठान के अन्य तीन मालिक व अधिकारी बालमुकन्द जिंदल, रमेश जिंदल व बाबूलाल जिंदल बताए हैं तीनों ने अपने कारोबार को कम्पनी में परिवर्तित करना और बजरंगदास को कम्पनी का डायरेक्टर नहीं होना बताया व तीनों की कार्यवाही को निष्प्रभावी बताया है। वादी ने प्रतिवादी सं.2 की जवाबदेही के प्रत्युत्तर में बालमुकंद के उत्तराधिकारियों द्वारा सहमति पत्र कृषि उपज मण्डी में पेश करना व कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा नवीन पट्टा विकास कैमीगम के नाम से जारी करना कथन किया है जो वादी का नया कथन है। अकेले बालमुकंद के किन वारिसान ने किस आधार पर यह कार्य किया, ऐसा कथन वाद में नहीं है और वादपत्र में इन कथनों को छिपाने के कारण प्रतिवादी सं.2 इसका खण्डन या जवाबदेही नहीं दे पाया। पट्टा जारी करने का जो आधार लिया है वह वादपत्र में समाविष्ट होना चाहिए था ताकि प्रतिवादीगण इसकी जवाबदेही कर सकते। वादी ने ये कथन प्रत्युत्तर में अंकित किए हैं जिनकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर वादी पक्ष के वाद पत्र व प्रतिवादी सं.2 की ओर से प्रस्तुत वादोत्तर एवं वादी पक्ष के प्रस्तावित पश्चातवर्ती अभिवचन प्रत्युत्तर का अवलोकन करें तो उक्त वादोत्तर में अंकित तथ्यों का प्रत्युत्तर दिया जाना प्रकट होता है। इस प्रकरण में पूर्व में प्रतिवादी सं .2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से उसका वादोत्तर पेश नहीं हुआ था व अन्य प्रतिवादी के वादोत्तर के पश्चात दिनांक 6.5.2024 को विवाद्यक विरचित किए गए एवं तदुपरांत प्रतिवादी सं.2 उपसंजात होने पर आदेशिका दिनांक 9.9.2024 के द्वारा उसे वादोत्तर प्रस्तुति हेतु अनुज्ञात किए जाने पर दिनांक 18.10.2024 को प्रतिवादी सं.2 की ओर से वादोत्तर पेश किया गया है और उसके बाद वादी की ओर से उक्त वादोत्तर का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जाकर अभिलेख पर लेने की प्रार्थना की गई है। प्रकरण में प्रतिवादी सं.2 के वादोत्तर के क्रम में संशोधित विवाद्यक विरचना होनी है। न्याय की मन्शा है कि पक्षकारों के अभिवचन सुस्पष्ट व विस्तृत हों ताकि न्यायनिर्णय में सुगमता हो। चूंकि प्रतिवादी सं.2 द्वारा वादोत्तर में जो अभिवचन किए गए हैं, उनके संबंध में वादी द्वारा प्रत्युत्तर के माध्यम से स्पष्टीकरण पेश किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एंव परिस्थितियों के दृष्टिगत न्यायहित में पक्षकारान की वस्तुतः स्थिति समग्र रूप से स्पष्ट करने हेतु एंव प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण में मदद को दृष्टिगत रखते हुए वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत पश्चातवर्ती अभिवचन प्रत्युत्तर अभिलेख पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज **मैसर्स प्रवीण कुमार अमित कुमार बनाम हनुमान गोयल व अन्य** **दीवानी वाद सं.61/2023**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ

निष्कर्षतः

(1)प्रतिवादी सं.1 हनुमान गोयल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सि.प्र.सं. दिनांकित 7.12.2024 स्वीकार किया जाकर उनके द्वारा प्रस्तुत वादोत्तर दिनांकित 16.4.2024 में प्रस्तावित नाम संशोधन की अनुमति प्रदान की जाती है। तदानुसार वादोत्तर में अंकित नाम "बजरंग दास जिंदल'' के स्थान पर ''बालमुकन्द जिदंल'' संशोधित कर अंकित किया जावे व परिणामिक संशोधन के रूप में पूर्व विरचित विवाद्यक दिनांकित 6.5.2024 में विवाद्यक सं.5 के अंतर्गत उल्लिखित नाम बजरंगदास जिदंल के स्थान पर बालमुकन्द जिंदल पढ़ा जावेगा।

(2)वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 9 सि.प्र.सं. दिनांकित 4.11.2024 स्वीकार किया जाकर वादी की ओर से प्रतिवादी सं.2 के वादोत्तर का प्रस्तुत प्रत्युत्तर अभिलेख पर लिया जाता है।

पत्रावली में वादी की ओर से प्रतिवादी सं.1 हनुमान गोयल के वादोत्तर का प्रत्युत्तर पेश कर उसे अभिलेख पर लिए जाने हेतु एक अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 9 सि.प्र.सं. दिनांकित 6.5.2024 का पेश किया हुआ है। चूँकि आज प्रतिवादी सं.1 हनुमान गोयल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सि.प्र.सं. स्वीकार किया जाकर उसे वादोत्तर में वाँछित संशोधन अनुज्ञात किया गया है। उक्त संशोधन के उपरांत यदि वादी पक्ष प्रस्तावित प्रत्युत्तर में संशोधन करना चाहे तो उसके लिए स्वतंत्र रहेगा। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 9 सि.प्र.सं. दिनांकित 6.5.2024 हेतु दिनांक को पेश हो

(आलोक सुरोलिया)